आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Coffee Board of India

# ICDP Support for Value Addition: New Coffee Roasting and Grinding (R&G) Units

कॉफी बोर्ड नई कॉफी भुनाई और पिसाई इकाई लगाने के लिए मशीनरी पर सब्सिडी देता है। 2026-27 का दौर बंद हो चुका है, और नीचे के नियम अगले दौर के लिए योजना का वर्णन करते हैं।

## क्या मिल सकता है

नई भुनाई, पिसाई और पैकिंग मशीनरी की लागत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 15 लाख रुपये तक। स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति व जनजाति और दिव्यांग लाभार्थियों को 50 प्रतिशत मिलता है, सीमा वही 15 लाख रुपये। बोर्ड स्थापित मशीनों का निरीक्षण करे तब राशि पीएफएमएस से बैंक खाते में जाती है, और यह निधि पर निर्भर है।

## किसके लिए है

नई कॉफी भुनाई और पिसाई इकाई लगाने के इच्छुक व्यक्ति, साझेदारी फ़र्म, प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म, स्वयं सहायता समूह, उत्पादकों के समूह और कॉफी कैफ़े।

## मुख्य शर्तें

- इकाई के पास वैधानिक प्राधिकारियों से कारोबार का वैध लाइसेंस होना चाहिए।
- जिन इकाइयों ने 11वीं योजना, 12वीं योजना या एमटीएफ अवधि में सब्सिडी ले ली है वे पात्र नहीं हैं।
- योजना उन इकाइयों पर लागू नहीं है जिनकी मशीनरी 20 मई 2026 की अधिसूचना से पहले लगकर चालू हो चुकी थी।
- मशीनें बोर्ड की व्यवहार्यता रिपोर्ट जारी होने के बाद ही खरीदी और लगाई जा सकती हैं।
- प्राथमिकता कम कॉफी पीने वाले राज्यों को मिलती है, फिर पूर्वोत्तर के आवेदकों, महिला उद्यमियों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों को।

## दस्तावेज़

- स्थल के लिए नोटरी से प्रमाणित पट्टा, किराया या स्वामित्व दस्तावेज़
- प्रस्तावित इकाई का नक्शा या ब्लूप्रिंट
- मशीन आपूर्तिकर्ताओं के भाव-पत्र
- आधार, राशन कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र जैसा फ़ोटो पहचान पत्र
- खाता संख्या और आईएफएससी कोड वाली बैंक पासबुक की प्रति
- अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग आवेदकों के लिए जाति या दिव्यांगता प्रमाणपत्र (40 प्रतिशत या अधिक)
- अंतिम दावे के लिए: कर बीजक, एफएसएसएआई लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण, नगरपालिका लाइसेंस और लगी मशीनों के फ़ोटो

## आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड जब दौर खोले तब पट्टे, नक्शे और भाव-पत्रों के साथ इंडिया कॉफी ऐप से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए आवेदन करें।
2. ऐप पर व्यवहार्यता रिपोर्ट मिलने के बाद ही मशीनरी खरीदें, लगाएँ और चालू करें।
3. मशीनें लगने के बाद बीजक, लाइसेंस और फ़ोटो के साथ इंडिया कॉफी ऐप पर अंतिम दावा भेजें।
4. कॉफी गुणवत्ता प्रभाग का अधिकारी इकाई का निरीक्षण करता है, और मंज़ूर सब्सिडी पीएफएमएस से आपके बैंक खाते में जाती है।

## स्थिति

आखिरी तारीख: 15 सितंबर 2026

**आधिकारिक स्रोत:** https://coffeeboard.gov.in/Schemes/Notification%20and%20modalities%20of%20R%20and%20U%20units%202026.pdf
**आधिकारिक PDF:** https://coffeeboard.gov.in/15th-comission.html
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/central/coffee-icdp-roasting-grinding-units-support/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।